



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

स्थायी आदेश संख्या 01/2017

दिनांक 14 सितम्बर 2017

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में हाल में हुए संशोधन से संबंधित कठिनाइयों पर स्पष्टीकरण- सम्बंधित ।

सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का ध्यान अधिसूचना संख्या 21/2017-सीमा शुल्क (एनटी) और अधिसूचना सं. 27 / 2017-सीमा शुल्क (एनटी) 31.03.2017 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रवेश विधेयक (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा) विनियमों में संशोधन, 2011 और बिल ऑफ एंटी (फॉर्म) विनियम, 1976 क्रमशः बिल ऑफ एंटी के प्रस्तुत में देरी होने पर विलंब शुल्क निर्धारित किए जायेंगे। अधिसूचनाएं अधिनियम अधिनियम, 2017 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 में लाए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप जारी की गई हैं। परिपत्र संख्या 12/2017-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2017 पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 और 47 में वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है ।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के संबंध में, बोर्ड को उपर्युक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन में आईसगेट की अस्थिरता के कारण समस्याएं आ रही हैं ।


**संक्षेप में समस्या:** कई बार, आयात कर्ता आईसगेट कनेक्टिविटी, सर्वर इत्यादि से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित समय अवधि के भीतर आयातित वस्तुओं की निकासी के लिए बिल ऑफ एंटी दर्ज नहीं कर पाए हैं। यह बोर्ड के नोटिस में भी लाया गया है ऐसे कई उदाहरण हैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर जब निर्धारित समय अवधि के भीतर एक बिल ऑफ एंटी दर्ज करने के बाद भी, देर से दाखिल करने के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है ।

3. बोर्ड ने इस मुद्दे की जांच की है और तदनुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

बोर्ड का मानना है कि आयात कर्ता को किसी भी सिस्टम से संबंधित गलती के कारण देरी के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 प्रदान करता है कि विधेयक की अंतिम प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान उचित अधिकारी की संतुष्टि के पर्याप्त कारण के अस्तित्व के अधीन है। दिनांक 02.05.2012 के अधिसूचना सं. 40/ 2012- सीमा शुल्क (एनटी) के अनुसार, इस संबंध में उचित अधिकारी सीमा शुल्क के अपर या संयुक्त आयुक्त हैं। सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी अपर /संयुक्त आयुक्तों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकारका प्रयोग कर यह सुनिश्चित करने करें कि व्यापार और हितधारकों को विशेष रूप से राजनयिक समुदाय को कोई कठिनाई और आवश्यक राहत नहीं दी जाती है, जो आयात कर्ता को प्रमाणिक मामलों के साथ व्यवसाय करने के हित में शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

4. यदि उपर्युक्त निर्देश के कार्यान्वयन में कोई समस्या आती है, उसे जल्द ही कार्यालय में सूचित की जाए।

(प्राधिकार- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग(सीबीइसी) के अनुदेश संख्या-12/2017-सीमा शुल्क एफसं.450/10/2017-सीमा IV दिनांक 31.08.2017 को देखें।)



(बंदना देवरी)

आयुक्त


C.No. VIII (48)25/CUS/TECH/2006/ 26263-81 (A)

dated

14 SEP 2017

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग।
2. आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, अगरतला, आइजल, दीमापुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शिलांग, ईटानगर, इम्फाल।
3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइजल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग से निवेदन किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी अधिकारी/कर्मचारी को सूचित करें।
4. अधीक्षक, कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
5. गार्ड फाइल।



(बंदना देवरी)

आयुक्त